मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

---00---

क्रमांक/ फ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल,दिनांक 13/04/2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर (म.प्र.)

विषय:-राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना ।

---0---

मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की जाएगी । इस योजना के लिये संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत प्राप्त सभी शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा विस्तृत नियम बनाये जा रहे हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार, दिनांक 2-4-2005 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976, में किये गये संशोधन के फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को दिनांक 1-1-2005 के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे । इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -5/1/2005/नियम/चार, दिनांक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होगें ।

3/ परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिये निम्नानुसार अंतरिम व्यवस्था लागू की जाती है

{1} प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके कार्यालय से वेतन पाने वाले दिनांक 1–1–2005 अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारी के मासिक वेतन एवं महगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा करेगा तथा अपनी स्थापना से [illegible] ऐसे कर्मचारियों के मासिक अंशदान कटौती का विवरण संलग्न परिशिष्ट में [illegible] प्रपत्र में दर्ज कर वेतन देयक के साथ संलग्न करेगा।

{2} [illegible] प्रत्येक माह महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना कटौती का विवरण प्रेषित करेगा ।

{3} परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में कर्मचारियों के वेतन कटौती से प्राप्त धनराशि तथा शासन अंशदान की राशि लोक लेखा के रूप में रखी जायेगी ।

{4} अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त कर्मचारी अंशदान व शासन के अंशदान से प्राप्त धनराशि से संबंधित लोक लेखा के संधारण हेतु निर्देश महालेखाकार मध्यप्रदेश के परामर्श से पृथक जारी किये जा रहे हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)
(ए० पी० श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

वेतन देयक से कटोत्रा अंशदान दर्शाने वाला पत्रक

माह ----------------------------

सेवा का लेखा शीर्ष ---------------------- जमा का लेखा शीर्ष : 8001 बीमा तथा पेंशन निधियां
106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
(0004) शासकीय कर्मचारी
अंशदान पेंशन योजना, 2005

सरल क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कर्मचारी के क्रमांक सहित	कर्मचारी से अंशदान
1	2	3

कार्यालय प्रमुख / आहरण संवितरण अधिकारी

पृष्ठांकन [illegible] एफ 9/3/2003/नियम/चार — भोपाल दिनांक 13 अप्रेल 2005

प्रतिलिपि:-

1. रा[illegible]पाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्र[illegible] सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. नि[illegible]क,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्र[illegible] सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सं[illegible]र, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सं[illegible], लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. नि[illegible] सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मु[illegible] निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. स[illegible] राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. र[illegible]र मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. म[illegible]/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. म[illegible]कार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. [illegible] परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्र[illegible] सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. अ[illegible] संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नि[illegible] शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अ[illegible] सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मु[illegible] सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. स[illegible] संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. स[illegible] आचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. स[illegible] कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. सं[illegible] संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अ[illegible], मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय,भोपाल ।
24. अ[illegible], शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
25. मा[illegible] फाईल ।

की ओर स[illegible] एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग